

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

कानूनिक कार्य सूची

मध्यप्रदेश के नियमों के अनुसार इस विधान सभा के उपचार (1) परिवर्तन विषय पर उपचार भागीदारी में छापा जाएगा। (2)

मंगलवार, दिनांक 28 नवम्बर, 1995 (अग्रहायण 7, 1917)

जिम्मेदारी इनियमि इनियमि विषय पर नियम द्वारा उपचार भागीदारी में छापा जाएगा। (3) विषय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

दिनांक 1276-अठारह-तीन-94, दिनांक 31 मार्च, 1995 विषय 1

(1) श्री गोकुल प्रसाद, कलरैलिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा उपर्याप्ति इनियमि

(2) श्री बलराम सिंह तिलगाम, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा उपर्याप्ति इनियमि

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे। विषय 26 : शासनी

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार स्थानीय शासन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

(क) क्रमांक 1276-अठारह-तीन-94, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994

(ख) क्रमांक-एफ-7-1-अठारह-तीन, दिनांक 31 मार्च, 1995

(ग) क्रमांक-एफ-7-4-95-अठारह-तीन, दिनांक 19 मई, 1995

(घ) क्रमांक-29-अठारह-तीन-95, दिनांक 16 जून, 1995

पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, भोपाल एवं ग्वालियर के बाल संप्रेक्षण गृहों से कई बाल कैदियों के फरार होने की घटनाओं की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में जीवनोपयोगी दबाओं की कीमतों में हुई वृद्धि से उत्पन्न रिश्ते की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री थावरचंद गेहलोत, सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा कृषकों से सोयाबीन की खरीदी न किये जाने से उत्पन्न रिश्ते की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम वराना से रजत ग्राम मवई तक सड़क बनाये जाने ;

(2) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पनीठा में आयुर्वेदिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराकर भवन निर्माण कराये जाने ; तथा

(3) श्री रामलखन सिंह (त्योधर), सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मांगी, अमिलहवा तथा बसहत में हैंपड पम्प लगाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

6. जनशक्ति नियोजन मंत्री का वक्तव्य

श्री नरेन्द्र नाहटा, जनशक्ति नियोजन मंत्री, दिनांक 18 सितम्बर, 1995 को पूछे गये अलारंकित प्रश्न संख्या 127 (क्रमांक 6562) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत कटौती, विद्युत उत्पादन में कमी तथा किसानों को विद्युत आपूर्ति न करने से उत्पन्न रिश्ते के संबंध में चर्चा (क्रमशः)।

ପାତ୍ର ନିଜୀ ଦୁର୍ଗାମ

निर्धारित
समय

(1) प्रदेश की अधूरी एवं लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने के संबंध में
श्री उदय मुदलियार, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

45 मि.

(2) प्रदेश के बदले औद्योगिकरण एवं लगाने वाले उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार हेतु ठोस कक्षम उठाने के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, अर्चा उठायेगे।

1 घन्टा

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग की द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 1985-86 तथा आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 में की गई अनुशंसाओं के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन पर चर्चा.

मध्यामाल : 22 नवम्बर 1995

अशोक अतुर्वेदी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा